भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4286** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

ओडिशा में अंतर्देशीय जलमार्ग

†4286. श्री अभिमन्यु सेठी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ओडिशा के भद्रक जिले से गुजरने वाली ऐतिहासिक तटीय नहर का अंतर्देशीय जल परिवहन चैनल के रूप में पुनरुद्धार करने की कोई योजना है ताकि इस जिले के निवासियों के लिए परिवहन का वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराया जा सके;

(ख) क्या मंत्रालय ने तटवर्ती गांवों को चक्रवातों के दौरान लवणीय जल के प्रवेश और उच्च ज्वार से बचाने के साथ-साथ ब्रिटिश युग की इस अनूठी विरासत को संरक्षित करने में अपनी भूमिका सहित नहर पुनरुद्धार के संभावित लाभों का आकलन किया है;

(ग) यदि अनुमोदित किया जाता है तो नहर पुनरुद्धार परियोजना में शामिल किए जाने की अनुमानित समय सीमा, वित्तपोषण आबंटन और विशिष्ट अवसंरचना सुधार क्या है; और

(घ) क्या सरकार नहर के पुनरुद्धार के भाग के रूप में सतत विकास और लचीले उपायों को प्राथमिकता देगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को पोत परिवहन और नौचालन के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने के लिए अधिदेशित किया गया है। विगत वर्षों में, आईडब्ल्यूएआई, फेयरवे का रख-रखाव और जलमार्गों में अवसंरचनाओं का विकास कर रहा है। इस प्रकार विकसित अवसंरचना का उपयोग यात्री एवं कार्गो परिवहन के लिए किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएआई ने नौचालन को ध्यान में रखते हुए रा.ज.-5 के रिवराइन भाग (तलचर-धामरा/ पारादीप) के लिए वर्ष 2009 में एक डीपीआर (2016 में विधिवत अद्यतित) तैयार किया है।

(ग) और (घ): नहर के पुनरुद्धार के लिए पांच वर्षों की समय-सीमा के साथ अनुमानित लागत 2709.04 करोड़ रु. (2009 के डीपीआर के अनुसार) थी जिसमें 93 सड़क/ फुट ब्रिज के पुनरूद्धार/ पुनर्निर्माण तथा 300 टन की अधिकतम क्षमता वाले जलयानों के आवाजाही के लिए 23 नए नेविगेशनल लॉक का निर्माण किया जाना आवश्यक था। चूंकि, मौजूदा डीपीआर पुराना है, अत:, संशोधित लागत अनुमानित समय-सीमा और आगे की कार्रवाई हेतु निर्णय लेने के लिए नए सिरे से व्यवहार्यता अध्ययन करना अपेक्षित है।

*****